इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2020—भाद्र 13, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-20-2020-1-पांच (50).—मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्र. 12 सन् 2018) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 में : –

(1) उप–नियम (1) में, अंक "10" के स्थान पर, अंक "6" स्थापित किया जाए;

(2) उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, तेल कंपनियों में किसी के द्वारा हाई स्पीड डीजल की बिक्री के टर्नओवर पर कोई उपकर देय नहीं होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जब इस तरह की बिक्री क्रेता कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए किसी अन्य अधिसूचित तेल कंपनी (इसमें इसके पश्चात् केता कंपनी के नाम से निर्दिष्ट है) को की जाती है। इस उप नियम के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में ऐसी अधिसूचना को ऐसी तिथिा से भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले नहीं होगी।"।

2. ये संशोधन शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-20-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2020-1-पांच (50), दिनांक 4 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 4th September 2020

No. F A 3-20-2020-1-V (50).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adiniyam, 2018, (No. 12 of 2018), the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Niyam, 2018, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 3 :-

(1) in sub-rule (1) for the number "10" the number "6" shall be substituted;

(2) sub-rule (2) shall be substituted by the following sub rule, namely :-

"(2) subject to the conditions specified, no cess shall be payable on the turnover of sales of High Speed Diesel by any of the oil companies, as may be notified by the State Government, when such sale is made to any other such notified oil company (hereinafter referred to as the purchasing company) for the purpose of resale within the State of Madhya Pradesh by the purchasing company. The power to issue notification under this sub rule shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of these Rules."

2. These amendments shall come into effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-20-2020-1-पांच (51).—मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर नियम, 2018 के नियम 3 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्न आईल कंपनियों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(एक) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(दो) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(तीन) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(चार) नियारा एनर्जी लिमिटेड
(पांच) रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
(छः) भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड
(सात) रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड

2. (i) खण्ड (चार) पर विर्निदिष्ट आईल कंपनी दिनांक 25 मई, 2018 से अधिसूचित मानी जावेगी।

(ii) खण्ड (पांच) पर विर्निदिष्ट आईल कंपनी दिनांक 29 जनवरी, 2018 से अधिसूचित मानी जावेगी।

(iii) खण्ड (सात) पर विर्निदिष्ट आईल कंपनी दिनांक 03 जून, 2020 से अधिसूचित मानी जावेगी।

(iv) शेष आईल कंपनियां इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-20-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2020-1-पांच (51), दिनांक 4 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 4th September 2020

No. F A 3-20-2020-1-V (51).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3 of the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Niyam, 2018, the State Government, hereby, notifies the following oil companies namely:—

1 Indian Oil Corporation Ltd.
2 Bharat Petroleum Corporation Ltd.
3 Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
4 Nayara Energy Limited.
5 Reliance Industries Limited.
6 Bharat Oman Refinery Ltd.
7 Reliance BP Mobility Limited.

2. (i) The oil company, mentioned at clause (4) shall be deemed to be notified with effect from 25th May, 2018.

(ii) The oil company, mentioned at clause (5) shall be deemed to be notified with effect from 29th January, 2018.

(iii) The oil company, mentioned at clause (7) shall be deemed to be notified with effect from 3rd June, 2020.

(iv) The rest of oil companies shall be deemed to be notified from the date of publication of this notification in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.